3/2018 [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13-6-18	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।	
28-6-18	[illegible] 9-7-18 को पेश हो।	
9-7-18	वकीलान की [illegible] बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि0 12/7/18 को पेश हो।	
12-7-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश दि0 26-7-18 को पेश हो।	
26-7-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टोडी में खनं0 419, 422, 488, 491, 492, 576, 578, 579 कुल किता-8 रकबा 4.90 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। दिनांक 23-3-2009	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सं0-1 ने सहमति से बंटवारा करवा लिया जिसके अनुसार नामान्तरकरण सं0-1795 दिनांक 21-5-2009 भरा गया । विवादित आराजी मे रास्ता दर्ज किया गया किन्तु उक्त आराजी खातेदारी की होने से खातेदारी में दर्ज कर दी गई रास्ता दर्ज नहीं किया गया । जिसके कारण अप्रार्थी उक्त रास्ते में बाधा डालता है तथा रास्ता को बन्द कर देता है पूर्व में भी रास्ता नायब तहसीलदार से खुलवाया गया है तथा ख0नं0 1689/419, 578, 1690/579 को रास्ता के लिये छोडी गई है जिसको रास्ता कायम किया जावे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा-237 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया तथा तहसीलदार को आदेशित दिया कि टोडी ग्राम में स्थित आराजी ख0नं0 1689/419 में विभाजन के दौरान कायम किये गये रास्ते को नियमानुसार खुलवाने की कार्यवाहीके आदेश दिये। प्रार्थना पत्र धारा-251 "क" के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं जाने के कारण कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा-237 आरटीए के तहत स्वीकार करने का अधिकार नहीं है इस धारा में केवल वाद/ प्रार्थना पत्र को अन्तरण करने की शक्ति है। इस धारा- में संयुक्त खातेदारी की भूमि को राजकीय रास्ता कटाण का दर्ज करने का अधिकार नहीं है । तथा अपीलाधीन आदेश में ख0नं0 1689/419 में रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया है वह भी विधि विरूद्ध है ।अदालत मातहत मे दिनांक 26-12-2017 से दिनांक 1-1-2018 तक कार्य स्थगित रखा गया था अदालत मातहत ने बिना अभिभाषकगण को सुने ही अभिभाषकगण की उपस्थिति दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	का निर्णय निरस्त किया जावे । अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर विद्वान अभिभाषकगण समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपने आदेश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 237 आर0टी0एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम टोडी की सरहद में स्थित आराजी ख0नं0 1689/419 में विभाजन के दौरान कायम किये गये रास्ते को नियमानुसार खुलवाये जाने की कार्यवाही करें ।इस धारा के तहत अदालत मातहत ने यह आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है ।प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 237 आरटीएक्ट में केवल प्रार्थना पत्र को न्यायालय तहसीलदार को हस्तान्तरित करने की मांग की है किन्तु अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र को हस्तान्तरित न कर प्रा0 पत्र को आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार उदयपुरवाटी को ख0नं0 1689/419 को खुलवाये जाने का आदेश दिया है वह विधि विरूद्ध दिया है ।धारा-237 में केवल प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर दिया है । जिसको यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 26-12-2017 को खारिज किया जाता है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 26/12/18	